

विषय सूची		
	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	(iii)
<b>अध्याय I</b>		
<b>प्रस्तावना</b>		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षा की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.4	3
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.5	4
निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.7	10
<b>अध्याय II</b>		
<b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>सार्वजनिक निर्माण विभाग</b>		
सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण का अनुबन्ध प्रबन्धन	2.1	11
<b>वन विभाग</b>		
राजस्थान में वन और वन्यजीवों का संरक्षण	2.2	60
<b>अध्याय III</b>		
<b>अनुपालना लेखापरीक्षा</b>		
<b>जल संसाधन विभाग</b>		
राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 का कार्यान्वयन	3.1	103

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>वन विभाग</b>		
ईको विकास अधिभार का अनुपयोजित रहना	3.2	125
वन उत्पादों के कीमत की वसूली का अभाव	3.3	127
क्षतिपूरक वनीकरण लागत की वसूली का अभाव	3.4	129
<b>सार्वजनिक निर्माण विभाग</b>		
प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त इस्पात का उपयोग न करने के कारण अनियमित व्यय	3.5	130
उचित योजना की कमी से सड़क कार्य अपूर्ण रहा	3.6	133
<b>जल संसाधन विभाग</b>		
विभाग की लापरवाही के कारण अधिक भुगतान	3.7	135

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 2.1	प्राक्कलनों में अतिरिक्त प्रावधान	139
परिशिष्ट 2.2	प्राक्कलनों में कमी/गलत प्रावधान	142
परिशिष्ट 2.3	क्षतिपूर्ति की वसूली/आरोपण का अभाव	154
परिशिष्ट 2.4	अतिरिक्त/अधिक मद की मंजूरी में सीआरएफ दिशानिर्देशों से विचलन	157
परिशिष्ट 2.5	मूल्य भिन्नता का अधिक भुगतान	158
परिशिष्ट 2.6	राज्य में संरक्षित क्षेत्रों की सूची	162
परिशिष्ट 2.7	2013-17 के दौरान वन्यजीव जनगणना की स्थिति	164
परिशिष्ट 2.8	2013-18 के दौरान अधिसूचित वन क्षेत्र तथा सुरक्षा और संरक्षण पर किए गए व्यय की स्थिति	165
परिशिष्ट 2.9	सिफारिशों का विवरण जिस पर अंतिम कार्यवाही महालेखाकार को सूचित की जानी है	166
परिशिष्ट 2.10	बकाया सिफारिशों की स्थिति	167
परिशिष्ट 3.1	अर्जित ब्याज और उपयोग का विवरण	168